न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 17/2019
RCMS Case No. 2019/00045

सायल :—	बनाम	गैरसायलः—
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		प्यारेलाल पुत्र रामलाल जाति कलाल, निवासी बेड़ल रोड़ हाल विजय नगर, फालना स्टेशन पुलिस थाना फालना, जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश मकवाना

:: निर्णय ::

दिनांक :— 13.11.19

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 1203.2019 को गैरसायल प्यारेलाल पुत्र रामलाल जाति कलाल निवासी बेड़ल रोड़ हाल विजय नगर, फालना स्टेशन, पुलिस थाना फालना जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना क्षेत्र, फालना का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसने सन् 1993 से अपराध करना शुरू किया और वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाद्ध रूप से जारी है। इसके विरूद्ध पाली जिले के विभिन्न थाना में कुल 23 मुकदमें लंबित है, जिनमें से कई प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र. स.	मु0न0	धारा	थाने का नाम	नाम न्यायालय	निर्णय
1	04/07.06.1993	19/54 आ.अधि.	आबकारी बाली	J.M. Bali	विचाराधीन
2	34/20.03.1993	19/54 आ.अधि.	आबकारी बाली	J.M.Bali	विचाराधीन
3	199/20.12.93	19/54 आ.अधि.	थाना बाली	J.M.Bali	विचाराधीन
4	108/30.05.95	16/54 आ.अधि.	आबकारी बाली	J.M.Bali	23.03.1993 को बरी
5	49/26.12.96	16/54 आ.अधि.	आबकारी बाली	J.M.Bali	18.11.03 को 100 रू. जुर्माना
6	190/09.08.96	19/54 आ.अधि.	थाना बाली	J.M.Bali	16.11.11 को संदेह का लाभ देकर बरी
7	13/24.01.96	341, 323. 336/34 भादस	थाना बाली	J.M.Bali	05.09.06 को राजीनामा से बरी
8	21/22.06.97	16/54 आ.अधि.	आबकारी बाली	J.M.Bali	24.05.05 को दोषमुक्त
9	311/02.12.97	353, 332 भादस	थाना बाली	J.M.Bali	विचाराधीन
10	07/09.09.98	19/54 आ.अधि.	थाना फालना	J.M.Bali	28.01.08 को 250 रूपये जुर्माना
11	09/25.08.98	16/54 आ.अधि.	आबकारी बाली	J.M.Bali	विचाराधीन
12	110/24.04.98	341/323 भादस	थाना बाली	J.M.Bali	05.04.2000 को राजीनामा से बरी
13	25/23.01.99	16/54 आ.अधि.	आबकारी बाली	J.M.Bali	विचाराधीन
14	39/07.09.2000	16/54 आ.अधि.	आबकारी बाली	J.M.Bali	04.12.02 को सजा
15	87/14.06.2000	19/54 आ.अधि.	थाना फालना	J.M.Bali	25.10.07 को 300रू. जुर्माना
16	67/15.05.02	353, 332, 336 भादस	थाना फालना	J.M.Bali	17.04.13 को दोषमुक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

17	195/22.08.03	19/54 आ.अधि.	सदर बाजार जोधपुर		विचाराधीन
18	137/03.10.05	4/25 आर्म्स एक्ट	थाना फालना	J.M.Bali	12.12.10 को 4 पीओ एक्ट पाबन्द
19	04/10.01.06	16/54 आ.अधि.	थाना फालना	J.M.Bali	07.06.06 को 4 पीओ एक्ट में पाबन्द
20	136/23.12.07	16/54 आ.अधि.	थाना फालना	J.M.Bali	25.04.09 को सजा
21	24/05.12.09	16/54 आ.अधि.	आबकारी बाली	J.M.Bali	विचाराधीन
22	121/30.10.10	16/54 आ.अधि.	थाना फालना	J.M.Bali	06.09.12 को 4 पीओ एक्ट में पाबन्द
23	67/17.04.17	19/54 आ.अधि.	थाना फालना	J.M.Bali	विचाराधीन

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल प्यारेलाल पुत्र रामलाल जाति कलाल निवासी बेड़ल रोड हाल विजयनगर फालना स्टेशन पुलिस थाना फालना जिला पाली, शराब तस्कर के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना फालना क्षेत्र का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

अधिवक्ता गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2017 के पश्चात कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, न ही कोई विचाराधीन है। गैरसायल वर्तमान में अपने परिवार सहित व्यापार में व्यस्त है। गैरसायल पिछले दो वर्षो से शराब तस्करी का कार्य नहीं कर रहा है तथा अब वह शांतिपुर्वक जीवन यापन कर रहा है। अतः गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तागासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली द्वारा प्रकरण संख्या 324/1998 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2008 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 250/– रूपये का अभियोजन व्यय अधिरोपित किया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 26/2006 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2006 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल प्यारेलाल पुत्र रामलाल जाति कलाल निवासी बेड़ल रोड हाल विजयनगर, फालना स्टेशन पुलिस थाना फालना जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना क्षेत्र, फालना से निष्काषित कर पुलिस थाना कोतवाली, पाली जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 28.11.19 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना कोतवाली, पाली जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी कोतवाली, पाली जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल प्यारेलाल पुत्र रामलाल इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना फालना, गैरसायल प्यारेलाल पुत्र रामलाल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना कोतवाली, पाली जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी कोतवाली, पाली उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी फालना अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना फालना एवं थानाधिकारी कोतवाली, पाली जिला पाली को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2019.11.26 10:45:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: